न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 02/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/140

1. अंकुर पुत्र सीताराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 केएनडी ए तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.

—अपीलार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी चक 8 केएनडी ए तहसील रावला जिला अनूपगढ़ राज.

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :—

1. अपीलार्थी, उपस्थित
2. प्रत्यर्थी, उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना के द्वारा प्रकरण सीताराम बनाम अंकुर प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2024 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। अपील दर्ज कर प्रत्यर्थी को तलब किया गया।
2. अपीलार्थी निवेदन किया कि रेस्पों. द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वरिष्ठ नागरिक के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। परन्तु प्रत्यर्थी जो कि अपीलार्थी के पिता हैं वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं। उनकी जन्म तिथि 01.01.1965 हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी के पिता अपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनके विरूद्ध अपराधिक धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी व उसकी बहन व माता के खिलाफ भी मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं। प्रत्यर्थी के नाम से तहसील रावला के चक 8 केएनडी ए का मु.नं. 33/49 कि.नं. 4 व 5 की 2 बीघा भूमि है जिसका सलाना ठेका 46000 रूपये प्रत्यर्थी को प्राप्त होता हैं। इसके अलावा प्रत्यर्थी द्वारा अपने नाम का रावला में स्थित प्लॉट भी विक्रय किया जा चुका हैं। प्रत्यर्थी सद्भावी नहीं हैं। अपीलार्थी व उसके परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से अनेकों मुकदमें दर्ज करवाए गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना द्वारा अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को प्रति माह 10,000/— रूपये जीवनपर्यन्त भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया हैं परन्तु अपीलार्थी इसमें सक्षम नहीं हैं। प्रत्यर्थी के पास अपने जीवनयापन हेतु भूमि तथा धन उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी भरण पोषण की राशि चाही गयी है जो कि सही नहीं हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और निवेदन किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिक हैं और आयु 60 वर्ष से अधिक हैं। रेस्पो. का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जिससे उसकी आयु का आंकलन किया जा सके। रेस्पो. पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उसके पिता द्वारा जो अनपढ़ थे रेस्पोडेन्ट के तमाम दस्तावेजों में उसकी आयु अनदाजे से लिखाई गई है। प्रत्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाई गयी है। झूठे मुकदमें दर्ज करवाए गये हैं। अप्रार्थी के नाम से जो भूमि हैं उस पर अपीलार्थी उसे काश्त नहीं करने देता हैं, ना ही ठेका किसी व्यक्ति को लेने देता है, अप्रार्थी के पास रहने की जगह भी नहीं हैं। अप्रार्थी के नाम से रावला में कोई प्लाट नहीं था ना ही उसने बेचा हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में फैंसला दिया गया था। लेकिन अपीलार्थी ने अभी तक भरण पोषण राशि अप्रार्थी को नहीं दी हैं। अप्रार्थी का अपीलांट के विरूद्ध दर्ज करवाया

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

गया मुकदमा पुलिस थाना रावला एफआईआर नं. 46/22, 47/22, 82/22 न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपीलार्थी के द्वारा अप्रार्थी को तंग किया जा रहा हैं। अपीलांट ने अप्रार्थी को घर से बाहर निकाल रखा हैं। धर्मशाला व मन्दिर में रहकर गुजर–बसर कर रहा हैं। अपीलार्थी ने अप्रार्थी के रिहायशी मकान को दबा रखा हैं जिसका रिसीवर करने का परिवाद न्यायालय एसडीएम घड़साना में पेश कर रखा हैं। जब अप्रार्थी ने अपीलार्थी को भरण पोषण राशि देने की मांग की तो अपीलांट ने जान से मारने की धमकी दी। अपीलांट को पीएस रावला द्वारा दिनांक 22.07.2024 को जरिये परिवाद पेश कर धारा 126, 135 बीएनएसएस के तहत पाबन्द किया गया था। अपील सारहीन होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी के द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण राशि दिलाए जाने हेतु अपीलार्थी के विरूद्ध वारन्ट जारी करने हेतु निवेदन किया।

4. उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया। अपीलार्थी के अपील पत्र एवं प्रत्यर्थी के जवाब एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन करने पर पाया गया हैं कि उभयपक्ष के मध्य घरेलू विवाद हैं, जिसके चलते उभयपक्ष में मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद–विवाद विचाराधीन हैं। उभयपक्ष में सुलह का प्रयास किया गया जो असफल रहा। अपीलार्थी का मुख्य तर्क हैं कि प्रत्यर्थी वरिष्ठ नागरिक नहीं थे फिर भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं, प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया हैं कि उनका कोई जन्म प्रमाण्या पत्र नहीं हैं। अनदाजे से आयु लिखवाई गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा छायाप्रति आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हैं जिस अनुसार प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 01.01.1965 दर्ज हैं। जिससे यह प्रमाणित हैं कि प्रत्यर्थी सीताराम द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना के समक्ष आवेदन करने एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णय पारित करने की दिनांक को प्रत्यर्थी की आयु 60 वर्ष नहीं थी। जबकि अधिनियम की धारा 2ज के अनुसार वरिष्ठ नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है। धारा 5 के तहत केवल वरिष्ठ नागरिक को ही आवेदन करने का अधिकार है। धारा 4 के अनुसार कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता–पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं धारा 5 के अधीन आवेदन करने के हकदार हैं।

5. अपीलार्थी के द्वारा छायाप्रति जमांदी चक 8 केएनडी ए खाता सं. 58 प्रस्तुत की गयी हैं जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सीताराम के नाम से चक 8 केएनडी ए के मु.नं. 11 कि.नं. 4 व 5/1, 5/2 की कुल 0.506है. कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज है। अतः यह स्पष्ट हैं कि प्रत्यर्थी के पास अपने जीवन निर्वाह हेतु भूमि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के आवेदन करने पर प्रत्यर्थी की तलबी मैनेजर, बिश्नोई मन्दिर, अनूपगढ़ के पते पर जारी की गयी थी तथा उक्त पते पर ही प्रत्यर्थी को नोटिस तामील हुआ हैं। जिससे यह भी प्रमाणित होता हैं कि प्रत्यर्थी बिश्नोई मन्दिर, अनूपगढ़ में मैनेजर पद पर कार्यरतः है। प्रत्यर्थी द्वारा अध्यक्ष, बिश्नोई मन्दिर एवं धर्मशाला अनूपगढ़ के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.09.2024 प्रस्तुत किया गया हैं जिस अनुसार दिनांक 01.09.2024 को प्रत्यर्थी को मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 28.09.2024 तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया हैं। अधिक उम्र होने के कारण कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आगामी मीटिंग में अन्य व्यक्ति को रखने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार से अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती हैं कि प्रत्यर्थी मैनेजर, बिश्नोई मन्दिर, अनूपगढ़ के पद पर कार्यरत हैं।

6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2024 में यह अंकित किया गया हैं कि प्रार्थी एक वृद्ध नागरिक हैं, लेकिन अधिनियम की मंशानुसार प्रत्यर्थी के वरिष्ठ नागरिक होने के संबंध में स्पष्ट अंकन नहीं किया गया हैं। ना ही प्रत्यर्थी द्वारा अपनी आयु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया हैं कि प्रार्थी को स्वयं का भरण पोषण करने हेतु आय का साधन नहीं हैं। जबकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी एवं प्रत्यर्थी स्वयं द्वारा अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर एवं धर्मशाला अनूपगढ़ के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.09.2024 के अनुसार प्रत्यर्थी के पास कृषि भूमि हैं तथा वे मैनेजर, बिश्नोई मन्दिर, अनूपगढ के पद पर कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं कि प्रत्यर्थी के पास अर्जन का

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

अथवा स्वयं के भरण पोषण हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है। न्यायालय की राय में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं की गयी हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना का निर्णय दिनांक 20.05.2024 खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्र.सं. 02/2024 सीताराम बनाम अंकुर में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2024 को निरस्त किया जाता हैं। उभयपक्ष को निर्णय की एक–एक प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)